राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः पं 22(6)शिक्षा–1/2015 दिनांकः 10-12-15

निदेशक,
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,
बीकानेर

विषयः–उमावि/मावि में समन्वित प्रावि/उप्रावि में कार्यरत कार्मिकों के वेतन आहरण करने के क्रम में।

महोदय,

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक पं 21(51)प्राशि/आयो/2015 दिनांक 26.6.2015 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अधीन संचालित 13250 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उमावि/मावि में समन्वित किये जाने पर इन विधालयों में स्वीकृत 71903 कार्मिको के पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप प्रत्याहारित किये जाने की स्वीकृती प्रदान की गयी है।

उपरोक्त स्थानान्तरण के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 22(6)शिक्षा–1/2002 दिनांक 19.06.2015 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के माध्यमिक शिक्षा विभाग में सेटअप परिवर्तन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसमें समय लगना संभावित है।

अतः प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेश द्वारा स्थानान्तरित पदों के विरूद्ध पदस्थापित कार्मिकों की वेतन व्यवस्था संक्रमण काल (Transition Phase) में सुचारू बनाये रखने के लिए इन कार्मिकों के वेतन का आहरण (एसएसए एवं पंचायतराज विभाग से वेतन आहरित करने वाले कार्मिकों के अतिरिक्त) माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध किया जावे। यदि किसी विद्यालय में स्वीकृत पदों से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं तो उनके वेतन का आहरण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्य रिक्त पदों के विरूद्ध किया जाये।

उपरोक्त व्यवस्था अन्तर्गत वेतन आहरण के आदेश इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.10.2015 द्वारा माह नवम्बर 2015 तक बढाई गई थी।

अतः वेतन आहरण की अवधि 31 जनवरी 2016 अथवा माध्यमिक शिक्षा विभाग में सेटअप परिवर्तन की कार्यवाही की प्रकिया पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) लागू रहेगी। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा अपने लेखा मदों में बजट हस्तानान्तरण की कार्यवाही सम्पादित करावें।

10/12/15
(अशोक कुमार गुप्ता)
उप शासन सचिव–प्रथम

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–प्रारं/बजट/बी–1/स.वि./2015–16/ दिनांकः 1 जनवरी 2016.

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर लेख है कि शासन के पत्र के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:–
1.सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
2.जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा–समस्त।
3.ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी–समस्त।

वित्तीय सलाहकार
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर